

**मांग संख्या 01**  
**मुख्य शीर्ष 2012**

**मद क्रमांक 1**

मध्यप्रदेश राजभवन सचिवालय हेतु यात्रा एवं कैम्प व्यय मद में रुपये 4.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 3**

मध्यप्रदेश राजभवन हेतु वेतन भत्ते मद में रुपये 1.25 लाख एवं कार्यालय व्यय हेतु रुपये 3,62,500 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,87,500 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

मध्यप्रदेश राजभवन हेतु ( हाऊस होल्ड ) घरेलू कर्मचारी व्यय हेतु रुपये 1.13 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,13,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

मध्यप्रदेश राजभवन हेतु समचुअरी भत्ता व्यय हेतु रुपये 87,500 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 87,500 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

मध्यप्रदेश राजभवन हेतु सत्कार व्यय के लिये रुपये 18,750 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 18,750 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2013**

**मद क्रमांक 7**

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान हेतु रुपये 40.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान हेतु रुपये 10.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2015**

**मद क्रमांक 9**

राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों का निर्वाचन में व्यय हेतु रुपये 30.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4059**

**मद क्रमांक 10**

राजभवन सचिवालय में लघु मूल कार्य पर पूंजीगत अनुभाग में व्यय हेतु राशि रुपये 3,38,25,400 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,38,25,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

राज्य निर्वाचन आयोग में निर्माण कार्य पर पूंजीगत अनुभाग में व्यय हेतु राशि रुपये 36.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

राजभवन में आडिटोरियम निर्माण कार्य पर पूंजीगत अनुभाग में व्यय हेतु राशि रुपये 2.53 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,53,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

लोकायुक्त कार्यालय भवन निर्माण कार्य के लिये पूंजीगत अनुभाग में व्यय हेतु नवीन योजना अंतर्गत राशि रुपये 1.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 02**  
**मुख्य शीर्ष 2070**

**मद क्रमांक 1 - 2**

सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय में वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 29.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 29,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 03**  
**मुख्य शीर्ष 2055**

**मद क्रमांक 1**

राज्य मुख्यालय के लिये वेतन मद में राशि रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2070**

**मद क्रमांक 2**

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद में राशि रुपये 70.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4055**

**मद क्रमांक 3**

गृह विभाग के अंतर्गत अपराध अनुसंधान के लिये उपकरण मद में राशि रुपये 13.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 04**  
**मुख्य शीर्ष 3454**

**मद क्रमांक 1**

जिला जनगणना पुस्तिका का प्रकाशन हेतु राशि रुपये 22.14 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 22,14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 06**  
**मुख्य शीर्ष 2052**

**मद क्रमांक 1 - 3**

संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपकरणों का क्रय, परामर्श सेवायें एवं अन्य हेतु राशि रुपये 24.70 लाख के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 24,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 - 46**

वित्त विभाग के अंतर्गत नवगठित कर्मचारी आयोग हेतु नवीन योजना के विभिन्न मदों में राशि रुपये 45,51,500 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 45,51,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 07**  
**मुख्य शीर्ष 2030**

**मद क्रमांक 1**

न्यायिक स्टाम्पों की लागत एवं छपाई पर व्यय हेतु रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

न्यायिकेतर स्टाम्पों की लागत एवं छपाई पर व्यय हेतु रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 08**  
**मुख्य शीर्ष 2053**

**मद क्रमांक 1**

राजस्व विभाग के आदेशिका वाहक स्थापना हेतु रुपये 4.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 10**  
**मुख्य शीर्ष 2406**

**मद क्रमांक 1-2**

वन विभाग के अंतर्गत वन प्रशिक्षण केन्द्र हेतु राशि रुपये 7,97,91,200 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,97,91,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

वन विभाग के अंतर्गत मालिक मकबूजा लकड़ी क्रय योजना हेतु रुपये 19.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 19,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 - 8**

वन विभाग के अंतर्गत इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार हेतु राशि रुपये 49.26 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 49,26,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### मद क्रमांक 9 - 12

वन विभाग के अंतर्गत बांस उत्पादन हेतु राशि रूपये 2,35,92,000 की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,35,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### मद क्रमांक 13 - 25

वन विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना, वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास हेतु राशि रूपये 26,09,48,000 की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 26,09,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 4406

### मद क्रमांक 26 - 27

म.प्र. प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन योजना के अंतर्गत रु. 62,51,96,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है जिसकी प्रतिपूर्ति प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि से की जायेगी। विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 तथा प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के प्रावधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत निम्नानुसार अपरीक्षित उप योजनाओं पर कार्य किया जायेगा:-

स0क्र0 उप योजना का नाम राशि (राशि करोड़ में)  
(अपरीक्षित)

1	2	3
1.	क्षतिपूर्ति वनीकरण	71.13
2	सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरुज्जीवन	3.88
3	कृत्रिम पुनरुज्जीवन	62.84
4	वनो में वन वर्द्धन संबंधी कार्यकलाप	01.72
5	रोपणों एवं वनों का संरक्षण	47.35
6	दावानल निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप	5.46
7	वनो में मृदा और आर्द्रता संरक्षण संबंधी कार्य	1.28
8	संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को स्वैच्छिक रूप से अन्यत्र बसाया जाना	14.72
9	वन्यजीव पर्यावास का सुधार	28.54
10	जैव विविधता तथा जैव संसाधनों का प्रबंधन	2.43
11	गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिये आधुनिक पौधा शालाओं में सुविधाओं की स्थापना उन्नयन और अनुरक्षण	3.47
12	निरीक्षण मार्गों, वन मार्गों का उन्नयन एवं काष्ठागारों का उन्नयन एवं अनुरक्षण।	28.91
13	अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आवासीय/कार्यालय भवन का निर्माण	26.90
14	प्रचार सह-जागरूकता कार्यक्रम- प्रशिक्षण	5.00
15	अनुभूति कार्यक्रम- प्रचार प्रसार सह जागरूकता अभियान	8.70
16	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैम्पा कार्यालय की स्थापना का प्रबंधन एवं अन्य व्यय।	0.1896

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 62,51,96,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मांग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 3475

**मद क्रमांक 1 - 2**

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें अंतर्गत अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमन, भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन के लिये चिकित्सा व्यय हेतु राशि रुपये 5.00 लाख एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय हेतु राशि रुपये 5.00 लाख कुल राशि रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4875**

**मद क्रमांक 3**

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग हेतु इंदौर मनमाड रेल परियोजना हेतु अंशपूजी हेतु नवीन योजना खोली जा रही है। इस हेतु राशि रुपये 3689.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 36,89,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 12**

**मुख्य शीर्ष 2801**

**मद क्रमांक 1**

उदय योजना अंतर्गत वितरण कंपनियों को हानियों के अधिग्रहण हेतु राशि रुपये 630.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

विद्युत वितरण कंपनियों के लिये इंदिरा गृह ज्योति योजना हेतु राशि रुपये 1500.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 13**

**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 1**

कृषि विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना ( सामान्य ) योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत रु 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2-4**

कृषि विभाग के अंतर्गत कृषक बन्धु योजना हेतु राशि रु0 187.80 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,87,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5-7**

कृषि विभाग के अंतर्गत केन्द्र परिवर्तित योजना सब मिशन ऑन एग्रीक्लचर एक्सटेंशन ( आत्मा) अंतर्गत राशि रु0 800.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

कृषि विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत राशि रुपये 780.80 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,80,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9,11**

कृषि विभाग के अंतर्गत योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत राशि रू0 1620.31 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 16,20,31,000 /- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 10**

कृषि विभाग के अंतर्गत केन्द्र परिवर्तित योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत राशि रू0 716.81 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपय 7,16,81,000 /- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मांग संख्या 14**  
**मुख्य शीर्ष 2403**

**मद क्रमांक 1**

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत जिला एवं संभागीय स्तर योजना हेतु राशि रूपये 275.87 लाख की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,75,87,000 /- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2 - 3**

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत संचालनालय स्तर योजना हेतु रूपये 113.95 लाख एवं डिक्रीधन हेतु राशि रूपये 7.86 लाख इस प्रकार कुल राशि रूपये 121.81 लाख की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,13,95,000 /- के अनुपूरक अनुदान एवं रूपये 7,86,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4-5**

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम योजना हेतु राशि 351.52 लाख की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,51,52,000 /- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6**

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत योजना मातामहामारी उन्मूलन योजना हेतु रूपये 59.39 लाख की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 59,39,000 /- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 7 - 8**

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत मुर्गीपालन विकास प्रक्षेत्र पर परीक्षण तथा प्रशिक्षण शाला रीवा का सुदृढीकरण योजना हेतु रूपये 117.26 लाख की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,17,26,000 /- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 9**

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत मंडला में वेटनरी डिप्लोमा हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु राशि रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,00,000 /- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मांग संख्या 16**

## मुख्य शीर्ष 2405

### मद क्रमांक 1

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के अंतर्गत अन्तर्देशीय मत्स्यद्योग योजना में जिला स्तर पर डिक्रीधन का भुगतान हेतु ( भारित ) राशि रुपये 5.215 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,21,500 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मांग संख्या 19

## मुख्य शीर्ष 2210

### मद क्रमांक 1

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत जिलों में विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के समय-समय पर डिक्री धन का भुगतान हेतु राशि रु.7.00करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु.7,00,00,000 /—के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट हेतु चिकित्सा अवशिष्टों का विनिष्टीकरण एवं सफाई व्यवस्था के लिये राशि रु.11.95करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु.11,95,00,000 /—के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3-6

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत मजदूरी एवं बिजली भुगतान हेतु राशि रु.7.00करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु.7,00,00,000 /—के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8,11,14

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग —स्वास्थ्य सेवायें अन्तर्गत सुरक्षा व्यवस्था मद हेतु राशि रु.8.98करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु.8,98,00,000 /—के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9,12,15

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत राज्य स्तरीय रोगी सहायता कोष हेतु राशि रु. 60.00 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु.60,00,00,000 /—के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7,10,13

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिजली एवं जल प्रभार पर बकाया राशि के भुगतान हेतु राशि रु.12.00करोड के अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु.12,00,00,000 /—के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 16

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन) अन्तर्गत खाद्य पदार्थों की मिलावट की रोकथाम अन्तर्गत वेतन भुगतान के लिये राशि रु.80.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु.80,00,000 /—के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17-19**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन) अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को वेतन भत्ते हेतु व्यय की नवीन मद खोलते हुये राशि रु.14.70 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु.14,70,000/-के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 20**  
**मुख्य शीर्ष 2215**

**मद क्रमांक 1**

लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग अन्तर्गत संचालनालय की स्थापना में डिक्रीधन (भारित) मद में राशि रुपये 4.50 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 4,50,00,000/- के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

स्थापना अन्तर्गत वेतन मद में राशि रुपये 25.00 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 25,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 22**  
**मुख्य शीर्ष 2059**

**मद क्रमांक 1**

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कार्यालय भवनों का रख-रखाव व मरम्मत हेतु राशि रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 3**

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत मण्डल की स्थापना का व्यय (रा.आ.वा.सा.प.रि.) हेतु वेतन मद में राशि रुपये 12.00 लाख एवं मजदूरी मद में राशि रुपये 500.00 लाख कुल राशि रुपये 512.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2217**

**मद क्रमांक 4 - 6**

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत वन संभाग की स्थापना हेतु वेतनमद में राशि रुपये 35.00 लाख, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में राशि रुपये 2.00 लाख एवं अवकाश यात्रा सुविधा हेतु राशि रुपये 3.00 लाख कुल राशि रुपये 40.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 8**

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय हेतु वेतन मद में राशि रुपये 185.00 लाख एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 7.00 लाख कुल राशि रुपये 192.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय हेतु मकान किराया भत्ता नवीन मद खोला जाकर राशि रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत दीनदयाल रसोई घर योजना एकमुश्त सहायता हेतु राशि रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास (फेज-3) नवीन योजना हेतु राशि रुपये 1000.00 लाख व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4217**

**मद क्रमांक 12-14**

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत स्मार्ट सिटी योजना हेतु 0701 (सामान्य) में राशि रुपये 13700.00 लाख, 0702 (अनु. जनजाति उपयोजना) में राशि रुपये 5000.00 लाख एवं 0703 (अनु. जाति उपयोजना) में राशि रुपये 3800.00 लाख कुल राशि रुपये 22500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 6217**

**मद क्रमांक 15**

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत उज्जैन स्मार्ट सिटी हेतु भारत सरकार से प्रदाय ऋण/सहायता हेतु नवीन योजना खोली गई है। इस हेतु राशि रुपये 800.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 23**

**मुख्य शीर्ष 2705**

**मद क्रमांक 1**

तवा आयाकट विकास आयुक्त कार्यालय अन्तर्गत कार्यालय व्यय हेतु राशि रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 100/- का प्रतीक प्रावधान नवीन मद के रूप में अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

राज्य स्तर पर आयाकट सेल अन्तर्गत व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियों मद में राशि रुपये 5000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 100/- का प्रतीक प्रावधान नवीन मद के रूप में अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4700**

**मद क्रमांक 3,5**

जिला सागर की राजघाट जल आवर्धन योजना जिसकी लागत राशि रुपये 12292.00 लाख है इस हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है एवं जिला सिंगरौली की गौण्ड परियोजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना सब स्कीम) जिसकी लागत राशि रुपये 109767.00 लाख है जिसका 34,500 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है इस हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। इस प्रकार कुल 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक प्रावधान नवीन अपरीक्षित मद के रूप में अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय योजना (सामान्य उप योजना सब स्कीम) अन्तर्गत गौण्ड वृहद सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 100.00 करोड प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

पार्वती रिन्सी वृहद परियोजना हेतु राशि रुपये 500.00 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय योजना अन्तर्गत गढा परियोजना ( अनुसूचित जनजाति उपयोगना ) हेतु राशि रुपये 100.00 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 100,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय योजना अन्तर्गत छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना (सामान्य उपयोगना ) हेतु राशि रुपये 800.00 करोड का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 8,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

जिला छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना ( अनुसूचित जनजाति उपयोगना सब स्कीम) जिसकी लागत राशि रुपये 547095.00 लाख है एवं 190500 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान नवीन मद के रूप में अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4701**

**मद क्रमांक 10**

गैर आदिवासी क्षेत्र की शाजापुर जिले की कबूलपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना जिसकी लागत राशि रुपये 12953.00 लाख एवं सिंचित क्षेत्र 4090 हेक्टेयर है इस हेतु पूंजीगत परिव्यय में रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान अपरीक्षित नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4702**

**मद क्रमांक 11**

निम्नांकित नवीन लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत राशि (राशि लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टे.)	प्रतीक प्रावधान (रुपये में)
1.	भोपाल	बरखेड़ी-अब्दुल्ला प्रेस राईज पाईप सिस्टम	1028.10	870	100
2.	गुना	ग्वालटोरिया लघु सिंचाई योजना	2786.00	785	100
3.	शाजापुर	टंचकेश्वर बैराज लघु सिंचाई योजना	1001.57	750	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 300 के प्रतीक प्रावधान अपरीक्षित नवीन मद के रूप में अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 24**  
**मुख्य शीर्ष 3054**

**मद क्रमांक 1-3**

मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण मदान्तर्गत राशि रुपये 100.00 करोड़ सामान्य एवं राशि रुपये 30.00 करोड़ अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सब स्कीम) एवं राशि रुपये 20.00 करोड़ अनसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम) में अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 1,50,00,00,000/- की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 5054**

**मद क्रमांक 4-5**

निम्नांकित नवीन पुल का निर्माण प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत राशि (राशि लाख में)	लम्बाई (कि.मी.)	प्रतीक प्रावधान (रुपये में)
1.	जबलपुर	गोरखपुर कटंगा क्रासिंग पर सदर से ग्वारीघाट मार्ग पर फ्लाई ओव्हर ब्रिज का निर्माण	3403.00	0.00	100
2.	भिण्ड	लहार जिला भिण्ड के अंतर्गत अजनार-मागरौल मार्ग पर नारदेश्वर मंदिर मड़ोरी के पास सिंध नदी पर पुल निर्माण	1072.46	0.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक प्रावधान अपरीक्षित नवीन मद के रूप में अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

निम्नांकित नवीन पुल का निर्माण प्रदेश के आवागमन के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में अपरीक्षित मद के रूप में प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत राशि (राशि लाख में)	लम्बाई (कि.मी.)	प्रतीक प्रावधान (रुपये में)
------	------	--------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------

1.	नरसिंहपुर	मगरधा पहुंच मार्ग का उन्नयन	369.06	1.23	100
----	-----------	-----------------------------	--------	------	-----

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान नवीन मद के रूप में अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

केन्द्रीय सड़क निधि सामान्य अंतर्गत राशि रुपये 180.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

केन्द्रीय सड़क निधि में अनसूचित जनजाति उप योजना (सब स्कीम) मदान्तर्गत राशि रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 20,00,00,000/-के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

निम्नांकित नवीन सड़क कार्य प्रदेश के आवागमन के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत राशि (राशि लाख में)	लम्बाई (कि.मी.)	प्रतीक प्रावधान (रुपये में)
------	------	--------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------

1.	भोपाल भदभदा से निपानिया जाट मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण	730.19	2.80	100
2.	ग्वालियर सिकरावली से धोबनी मार्ग	593.29	8.00	100
3.	भिण्ड ग्राम लपवाहा से बारहेट-जगनपुरा होते हुये ग्राम मढैला मार्ग	601.00	9.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 300 के प्रतीक प्रावधान की नवीन मद के रुप में अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10,12,13

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ( ग्रामीण सडको सहित ) सामान्य मदान्तर्गत राशि रुपये 63.00 करोड की एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना सब स्कीम में राशि रुपये 21.00 करोड एवं अनुसूचित जाति उपयोजना सब स्कीम में राशि रुपये 16.00 करोड इस प्रकार कुल राशि 100.00 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 1,00,00,00,000 /- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

सुदृढिकरण योजना अन्तर्गत राशि रुपये 50.00 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 50,00,00,000 /- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14-16

एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सडक निर्माण) सामान्य मदान्तर्गत राशि रुपये 63.00 करोड की एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना सब स्कीम में राशि रुपये 21.00 करोड एवं अनुसूचित जाति उपयोजना सब स्कीम में राशि रुपये 16.00 करोड इस प्रकार कुल राशि रुपये 100.00 करोड के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 1,00,00,00,000 /- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26

मुख्य शीर्ष 2205

### मद क्रमांक 1

संस्कृति विभाग के अंतर्गत नर्मदा अर्धकुंभ के आयोजन हेतु नवीन योजना खोली जाकर राशि रुपये 200.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27

मुख्य शीर्ष 2202

### मद क्रमांक 1

लोक शिक्षण अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के शिक्षकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 420.24 करोड की अतिरिक्त आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या-53 योजना क्रमांक-8403 पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय एवं मांग संख्या-64 योजना क्रमांक 2669 नगरीय निकायों के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय की बचत से समायोजन के माध्यम से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,20,24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

लोक शिक्षण अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के शिक्षकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 1013.58 करोड की अतिरिक्त आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या-53 योजना क्रमांक-8403 पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय एवं मांग

संख्या-64 योजना क्रमांक 2669 नगरीय निकायों के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय की बचत से समायोजन के माध्यम से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,13,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 3**

लोक शिक्षण अंतर्गत मदरसा बोर्ड को अनुदान एवं मदरसों का अधोसंरचना विकास हेतु मदरसों में मध्यान्ह भोजन योजना लागू किये जाने हेतु राशि रुपये 100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4202**

### **मद क्रमांक 4**

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान योजना हेतु राशि रुपये 17700.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता पूंजीगत मद में है। जिसमें से राज्यांश राशि रुपये 7080.00 लाख की व्यवस्था इस योजना की राजस्व मद में उपलब्ध राशि के समायोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,77,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 29**

**मुख्य शीर्ष 2014**

### **मद क्रमांक 1**

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की स्केनिंग तथा अंकीकरण योजना अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियों के भुगतान के लिये राशि रुपये 4.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 2**

विधि एवं विधायी कार्य विभाग अंतर्गत निर्वाह पत्र तामिल स्थापना के लिये वेतन मद में राशि रुपये 5.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 31**

**मुख्य शीर्ष 3451**

### **मद क्रमांक 1**

राज्य योजना मंडल के अंतर्गत वेतन भत्ते हेतु रुपये 100 का नवीन मद खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 33**

**मुख्य शीर्ष 2202**

### **मद क्रमांक 1 - 3**

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शालाओं के लिये वेतन, महंगाई भत्ता एवं सहायक अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 754.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,54,42,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 4 - 6**

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शालाओं के लिये वेतन, महंगाई भत्ता एवं सहायक अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से

योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 519.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,19,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 7**

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक शालाओं के लिये सहायक अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुदान राशि रुपये 27.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 27,22,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मुख्य शीर्ष 2225**

#### **मद क्रमांक 8**

आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां हेतु राशि रुपये 157.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,57,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 9**

आदिम जाति कल्याण विभाग की मदद योजना (नवीन) अंतर्गत सहायक अनुदान मद में राशि रुपये 7019.51 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 3005.75 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित राशि रुपये 70,19,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मांग संख्या 34 मुख्य शीर्ष 2235**

#### **मद क्रमांक 1-3**

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान हेतु राशि रुपये 232.05 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,32,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 4**

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत अपरीक्षित नवीन योजना महात्मा गांधी कुष्ठ सेवा पुरस्कार में रुपये 100 प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 5**

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री निकाह योजना हेतु राशि रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 6**

सामाजिक न्याय विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु रुपये 427.55 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,27,55,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 7-9**

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु रुपये 6000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 10**

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत निःशक्तजनों के लिए बाधारहित वातावरण योजना हेतु रुपये 87.42 लाख की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 87,42,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 11**

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अपरीक्षित नवीन योजना नशीली दवा की मांग में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना का क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 225.00 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 12**

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत अपरीक्षित नवीन योजना ट्रांसजेण्डर का कल्याण एवं पुनर्वास हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मांग संख्या 35**  
**मुख्य शीर्ष 4851**

**मद क्रमांक 1**

भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज हेतु राशि रुपये 50,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मांग संख्या 37**  
**मुख्य शीर्ष 3452**

**मद क्रमांक 1**

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को सूचना और प्रचार हेतु अनुदान हेतु राशि रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मांग संख्या 38**  
**मुख्य शीर्ष 2210**

**मद क्रमांक 1**

आयुष विभाग राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसिनल प्लांट मिशन अंतर्गत आवृत्ति व्यय हेतु राशि रु.4712.00लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु.47,12,00,000/-के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

आयुष विभाग राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसिनल प्लांट मिशन अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों निर्मित किये जाने हेतु राशि रु.2926.00लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु.29,26,00,000/-के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मांग संख्या 39**

**मुख्य शीर्ष 2408**

**मद क्रमांक 1**

खाद्य विभाग के अन्तर्गत उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना योजना हेतु रुपये 1000.00 लाख की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 3475**

**मद क्रमांक 2**

खाद्य विभाग के अन्तर्गत संभागीय कार्यालय का सुदृढीकरण योजना हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मांग संख्या 40**

**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

लोक शिक्षण अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के शिक्षकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 218.56 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है । राशि की व्यवस्था मांग संख्या-53 योजना क्रमांक-8403 पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय एवं मांग संख्या-64 योजना क्रमांक 2669 नगरीय निकायों के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों को वेतन/मानदेय की बचत से समायोजन के माध्यम से की जावेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,18,56,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

लोक शिक्षण अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान हेतु राशि रुपये 12475.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,24,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

लोक शिक्षण अंतर्गत शालाओं के उन्नयन अंतर्गत विशेष सेवाओं हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत डिक्रीधन के भुगतान हेतु राशि रुपये 30.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

लोक शिक्षण अंतर्गत साईकलों का प्रदाय योजना अंतर्गत राशि रुपये 2691.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 26,91,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मांग संख्या 43**

**मुख्य शीर्ष 4202**

**मद क्रमांक 1**

जिला नरसिंहपुर में स्पोर्ट काम्पलेक्स के निर्माण हेतु नवीन व्यय के रूप में राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आवश्यक है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मांग संख्या 44**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना अंतर्गत राशि रुपये 2.13 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 4**

महाविद्यालयों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 6435.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 64,35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5,7,8**

जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालय में पदस्थ अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान हेतु राशि रुपये 16000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान को मैचिंग ग्रांट हेतु राशि रुपये 45.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 47**  
**मुख्य शीर्ष 2203**

**मद क्रमांक 1**

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलॉजी के बाउण्ड्रीवॉल एवं छात्रावास भवन के निर्माण कार्यों के दायित्वों के भुगतान हेतु राशि रुपये 1.64 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत गैर शासकीय संस्थाओं को सहायता के अंतर्गत राशि रुपये 2.62 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,62,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 48**  
**मुख्य शीर्ष 4700**

**मद क्रमांक 1**

इंदिरा सागर परियोजना में डिक्रीधन (भारित) मद में राशि रुपये 2.92 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 2,92,00,000/- के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 49**  
**मुख्य शीर्ष 2225**

**मद क्रमांक 1**

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रावास/आश्रमों का संचालन के लिये मजदूरी मद हेतु राशि रुपये 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 50**  
**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 1**

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत कृषक –समृद्धि योजना हेतु राशि रू0 3200.00 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 32,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन योजना हेतु राशि रू0 389.02 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,89,02,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 51**  
**मुख्य शीर्ष 2250**

**मद क्रमांक 1**

अध्यात्म विभाग के अंतर्गत ओशो महोत्सव हेतु रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

अध्यात्म विभाग के अंतर्गत सिख संग्राहलय व शोध केन्द्र की स्थापना हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया गया है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

अध्यात्म विभाग के अंतर्गत तीर्थ यात्रा योजना हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 52**  
**मुख्य शीर्ष 4210**

**मद क्रमांक 1**

चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना के लिये वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रू.20.00 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रू 20,00,00,000/-के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत पी.एम.एस.एस.वाय.परि. सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिये वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रू.12.00 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रू 12,00,00,000/-के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत एलाइट हेल्थ सेंटर के लिये वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रू.844.00लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु 8,44,00,000/-के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय मे पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण के लिये मशीने एवं संयंत्र हेतु राशि रु.5.00 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु 5,00,00,000/-के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत रतलाम/दतिया/शिवपुरी/छिन्दवाडा चिकित्सा महाविद्यालय के लिये उप वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रु.50.00 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु 50,00,00,000/-के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत एम.बी.बी.एस. सीटस मे वृद्धि के लिये वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रु.80.00 करोड का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रु 80,00,00,000/-के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 55**  
**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 1 - 3**

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पोषण अभियान/एनएनएम हेतु राशि रुपये 89,08,65,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 89,08,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 - 5**

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) हेतु राशि रुपये 5,89,68,432 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,89,68,432 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत वन स्टाप सेंटर योजना हेतु राशि रुपये 2,77,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,77,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 58**  
**मुख्य शीर्ष 2245**

**मद क्रमांक 1**

राजस्व के अंतर्गत बाढ़/अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत हेतु राशि रुपये 5700.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 57,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

राजस्व विभाग के अंतर्गत आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण—आपदा राहत निधि हेतु राशि रुपये 1065.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,65,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

राजस्व विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा राहत निधि से प्राप्त हेतु राशि रुपये 6600.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 66,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राजस्व विभाग के अंतर्गत सर्पदंश पर आर्थिक सहायता हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 60**  
**मुख्य शीर्ष 4515**

**मद क्रमांक 1**

जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान अंतर्गत सामान्य में उपयोजना हेतु राशि रुपये 6.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना पूंजीगत अनुभाग में राशि रुपये 2.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना के पूंजीगत अनुभाग में राशि रुपये 1.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 64**  
**मुख्य शीर्ष 2217**

**मद क्रमांक 1-3**

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान हेतु 191-में राशि रुपये 17748.00 लाख, 192-में राशि रुपये 10981.00 लाख एवं 193- में राशि रुपये 8840.00 लाख कुल राशि रुपये 37569.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,75,69,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 3604**

**मद क्रमांक 4**

नगरीय निकायों के लिये स्वच्छता पुरस्कार योजना हेतु राशि रुपये 787.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,87,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 66**  
**मुख्य शीर्ष 2225**

**मद क्रमांक 1**

पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां हेतु राशि रुपये 81.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 81,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत राज्य छात्रवृत्तियां हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 67  
मुख्य शीर्ष 4059**

**मद क्रमांक 1**

विधि निर्वाचन अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं व्ही.व्ही.पी.ए.टी. के लिये वेयर हाऊस के निर्माण हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

भोपाल में स्टेट गेस्ट हाउस का निर्माण हेतु लागत राशि रुपये 64.75 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 100/- के प्रतीक प्रावधान अपरीक्षित नवीन मद के रूप में अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।